

सं० सं०-1/फार्मेसी-04/2012 - 1233 (17)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
19/11/13


आदेश

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-736(17) दिनांक 12.09.2006 के द्वारा राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ पटना के व्याख्याताओं का मानदेय 17000/- (सतरह हजार) रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया था।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-03/एम०-78/2005-2401/कार्मिक दिनांक 18.07.2007 की कंडिका-04 के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय निर्धारण हेतु प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांक 01.11.2013 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ पटना में संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं का मानदेय 25000/- (पच्चीस हजार) रूपये प्रतिमाह करने एवं कुल मानदेय पर 10% की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बद्धधित मानदेय आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन


(संजय कुमार)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-1/फार्मेसी-04/2012-1233(17)पटना, दिनांक :- 19/11/13

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ पटना-7/फार्मेसी संस्थान अगमकुआँ पटना के संविदा व्याख्याताओं/उप-कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 17/ आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।